संख्या-883/22-2-2014-17(56)2003

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक: 12 अक्टूबर 2015

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र श्री राजाराम निवासी जनपद-फिरोजाबाद का 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15647/पर-2(एम-05-06-2014) दिनांक 18-06-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी महेश पुत्र श्री राजाराम, ग्राम-नई बस्ती, थाना-दक्षिण फिरोजाबाद, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। पुरानी रजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20-02-1975 को अपरान्ह लगभग 04:30 बजे लाठी, डण्डा, लोहे की छड से मारकर धर्मपाल नामक व्यक्ति की हत्या की। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-130/1975 में भा0द0वि0 की धारा-302, 149, 147 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा दिनांक 02-12-1978 को दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-10-1997 द्वारा बन्दी को 302/149, 147 भा0द0वि0 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30-04-2012 तक 10 वर्ष 11 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 14 वर्ष 02 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, आदि के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद ने भी बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद की आख्या के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र श्री राजाराम को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी महेश (बन्दी संख्या-7795) पुत्र श्री राजाराम, ग्राम-नई बस्ती, थाना-दक्षिण फिरोजाबाद, जनपद-फिरोजाबाद की उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-883(1)/22-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in